सप्तदश माला, खंड 10, अंक 6 **शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021**

16 माघ,1942 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

मदन कुमार मिश्र
उप निदेशक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 10, पांचवां सत्र, 2021 / 1942 (शक)
अंक 6, शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021 / 16 माघ , 1942 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न सं. 61, 71 और 78	12-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19
तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 70, 72 से 77, 79 और 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 880 और 882 से 920	
अध्यक्ष द्वारा बधाई	20

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 22-29

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन 30

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

10वें से 13वां प्रतिवेदन 31

सभा का कार्य 32-33

नियम 377 के अधीन मामले 33-

(एक) महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 34

(दो) उत्तर प्रदेश में नेपाल से भारत में आने वाले जब्त सामान के लिए नीलामी प्रक्रिया को सुचारु बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्र टेनी 35

(तीन) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने के बारे में

श्री दुष्यंत सिंह 36

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 37

(पाँच) बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने के बारे में

श्री अनुराग शर्मा 38

(छह) कर्नाटक के कोलार जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने के बारे में

श्री एस. मुनिस्वामी 39

(सात) फिल्मों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत की जा रही सामग्री पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केशरी देवी पटेल 40

(आठ) कलबुर्गी रेलवे डिवीजन के बारे में

डॉ. उमेश जी. जाधव 41

(नौ) गुजरात के थराद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 को चौड़ा किए जाने के बारे में

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल 42

(दस) बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप कुमार सिंह 43

(ग्यारह) बिहार के रोहतास जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 44

(बारह) राजस्थान में जवाई बांध में पर्याप्त जल छोड़ा जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 45

(तेरह) राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्य राजमार्ग संख्या 7ई को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भागीरथ चौधरी 46

(चौदह) "कीनू' और 'गाजर' का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने के बारे में

श्री निहाल चन्द चौहान 47

(पंद्रह) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्यन के लिए समर्पित अनुसंधान संस्थान के बारे में

श्री कुलदीप राय शर्मा 48

(सोलह) तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के बारे में

श्री एस.आर. पार्थिबन 49

(सत्रह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 को पूरा किए जाने के बारे में

श्री तालारी रंगैय्या 50

(अठारह) बिहार के औरंगाबाद जिले में पुनपुन नदी पर पुल निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह 50

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री जयदेव गल्ला 51

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021 / **1**6 माघ,1942 (शक)

लोक सभा अपराह्न चार बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61, श्री अजय मिश्र टेनी।

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. टी. सुमति (ए,) तामिझाची थंगापंडियन, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

…. (व्यवधान)

अपराह्न 4.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61, श्री अजय मिश्र टेनी।

(प्रश्न 61)

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोरोना संकट को नियंत्रित करने व दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिनेशन प्रोग्राम को संचालित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सिनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, परंतु क्या अभी वर्तमान

[1] *प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

वित्तीय वर्ष में चल रहे वैक्सिनेशन प्रोग्राम में जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक का खर्च प्रधान मंत्री केयर्स फंड के माध्यम से 82 प्रतिशत से अधिक किया जा रहा है? ... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहले फेज़ में हमारे तीन करोड़ हैल्थवर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सिनेशन के लिए अधिकांश जो सहयोग है, वह हमें पीएम केयर्स फंड के माध्यम से मिला है। ... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके अंदर कॉन्ट्रिब्यूट कर रहा है। ... (व्यवधान) आने वाले समय के अंदर देश के और 27 करोड़ लोगों को, जो 50 साल से ऊपर के हैं और 50 साल से कम के हैं, जिनको कोमॉरबिडिटीज़ हैं, उनको भी आने वाले समय के अंदर देश में वैक्सिनेशन लगाया जाएगा। ... (व्यवधान)

हमारी वित्त मंत्री ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें आने वाले समय के लिए और इस वर्ष के लिए 35 हजार करोड़ रुपये केवल कोविड से लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए, वैक्सिनेशन के माध्यम से रखा गया है। ... (व्यवधान) वित्त मंत्री जी ने यह भी अपने बजट भाषण में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें और ज्यादा वृद्धि भी की जा सकती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, कोरोना वैक्सीन पर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप सब भी जानना चाहते हैं। इस विषय पर सरकार जवाब देना चाहती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि

कृपया प्रश्नकाल में सहयोग करें। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह आपका अधिकार होता है, सरकार की उस पर जवाबदेही होती है, कार्यपालिका पर जवाबदेही तय होती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब अपनी-अपनी सीटों पर विराजें, ताकि प्रश्न काल ठीक से और व्यवस्थित तरीके से चल सके।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप सेकेंड सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के बजटीय प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक धन की भी व्यवस्था करने का आश्वासन माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फ्री-वैक्सिनेशन के साथ ही क्या बाजार में सस्ती कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराने पर भी सरकार विचार करेगी या पहले से सरकार ऐसा विचार कर रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में प्रधान मंत्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, जिसमें डॉ. वी.के. कौल

और हमारे स्वास्थ्य सचिव चेयरमैन हैं।... (व्यवधान) इसमें सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं। कई राज्य इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में और इससे जुड़े जितने भी विषय हैं, उनके संदर्भ में यह एक्सपर्ट ग्रुप प्रधान मंत्री जी से भी मार्गदर्शन लेता है और समय-समय पर सारे आवश्यक फैसले करता है।... (व्यवधान) जो भी फैसले किए जाते हैं, वे पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं और इसी एक्सपर्ट ग्रुप के फैसलों के अनुरूप देश में वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है।... (व्यवधान) देश में लगभग 5 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और इसके लिए 95801 सैशन्स देश में किए जा चुके हैं।... (व्यवधान) इसी सप्ताह हैल्थ वर्कर्स के साथ-साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय दो वैक्सीन्स को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए ऑथोराइजेशन दिया गया है। इसके अलावा भारत में 7 और वैक्सीन्स पर काम हो रहा है, जिसमें से तीन वैक्सीन्स क्लीनिकल फेज के थर्ड फेज के ट्रायल में हैं। दो वैक्सीन्स फर्स्ट और सैकेंड फेज में हैं और दो वैक्सीन्स एडवांस्ड प्रीक्लीनिकल फेज के अंदर हैं। जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ेगी मार्केट में उपलब्ध कराने के बारे में एक्सपर्ट ग्रुप्स जो भी निर्णय करेगा, उसकी जानकारी सारे देश को उचित समय पर दी जाएगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने लिखकर दिया है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल जी।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं क्योंकि आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने यह महामारी एक वैश्विक चुनौती है और उस वैश्विक चुनौती में जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने आज कोविड-19 के लिए दो वैक्सीन्स का इजाद किया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि **7** और वैक्सीन्स भी प्रोग्रेस में हैं, जो बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो यह निश्चित तौर से भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। मैं अपनी सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम कोरोना वैक्सीन को पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे। भारत सरकार की नीति 'नेबर फर्स्ट' की है। हमारी सरकार आने के बाद प्रधान मंत्री जी की जो यह नीति है, उसके तहत हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हैं, क्या इन देशों को भी हमारी वैक्सीन देने की कोई नीति है? जिस तरह से हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन 150 देशों को दी गई, क्या इस तरह से हमारी दोनों वैक्सीन्स की दुनिया के अन्य देशों से मांग आई है, अगर आई है तो कहां-कहां से आई है?

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समय भारत के पास दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग आई है। इन देशों का नाम अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, ब्राजील, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोरोक्को, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, ओमान, पेस्फिक आइसलैंड्स, सऊदी अरेबिया, सिसली, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई है। इन देशों में से 15 से अधिक देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ग्रांट

असिस्टेंस के रूप में भी और कांट्रेक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई हैं। 2 फरवरी के डेटा के अनुसार 56 लाख डोजेज ग्रांट के रूप में इन देशों में दी जा चुकी हैं और 105 लाख डोजेज कांट्रेक्टेड डोजेज के रूप में दी जा चुकी हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री विनोद कुमार जी।

... (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कोविड महामारी के समय जिस तरह से देश का नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया और इस देश के गांव, गरीब, किसान सभी की चिंता की गई, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ देश के वैज्ञानिकों को भी इस सदन के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कोविड महामारी के समय दो वैक्सीनों का निर्माण किया।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस समय देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उस समय समय देश के वैज्ञानिकों का हौसला गिराने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में इन्होंने जो वैक्सिनेशन की शुरुआत की है, वह कब तक पूरी हो जाएगी और सेकेंड फेज में जो लोग 50 साल से अधिक आयु के हैं, उनके लिए सेकेंड फेज कब तक शुरु कर पाएंगे? ... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ हमारी जंग एक साल तक माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में चली है और सफलतापूर्वक उस जंग में हमने दुनिया के अंदर सब प्रकार के रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं।...

(व्यवधान) 16 जनवरी, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ वैक्सिनेशन शुरु हुआ था और पहले फेज में लगभग एक करोड़ सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को वैक्सिनेशन देने का लक्ष्य था, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।... (व्यवधान) इसके बाद दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनकी एस्टिमेटेड संख्या लगभग 2 करोड़ रखी गई थी, उनका वैक्सिनेशन भी इसी सप्ताह 2 फरवरी, 2021 से देश के अनेक स्थानों पर शुरु हो गया है। पहले या दूसरे फेज के वैक्सिनेशन के पूरा होने के बाद संभावना यह है कि अगले माह में कभी भी किसी भी सप्ताह के अंदर तीसरा फेज, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी नागरिकों को वैक्सिनेशन की सुविधा मिलेगी, प्रारम्भ किया जाएगा।... (व्यवधान) उसकी एक एग्जैक्ट डेट तो आज देना संभव नहीं है, लेकिन हमने जैसा कहा कि, अनुमान है कि मार्च के महीने में दूसरे, तीसरे या चौथे सप्ताह में कभी भी यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न संख्या-71 और 78 को क्लब किया जाता है।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री विनसेंट एच. पाला

श्रीमती साजदा अहमद

श्री राजन बाबूराव विचारे

श्री दीपक बैज**।**

... (<u>व्यवधान)</u>

———————

* प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं. 62 से 70, 72 से 77, 79 और 80
अतारांकित प्रश्न सं. 691 से 880 और 882 से 920)

———————————————— –

*प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 4.13 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को सभा की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इतने कम समय में इतने उन्नत किस्म के वैक्सीन तैयार किए हैं और पूरे विश्व में भारत का नाम रौशन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी तरीके से देश सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि अगर वह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने-अपने स्थान पर जाकर विराजें ताकि हम सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित तरीके से चला सकें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही छह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं छह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

<u>सायं 6.00 बजे</u>

लोक सभा सायं छह बजे पुनः समवेत हुई।

... (*व्यवधान*)

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री भगवंत मान, डॉ. अमर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (<u>व्यवधान)</u>

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (<u>व्यवधान)</u>

सायं 6.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आईटम नंबर 2 से 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2979/17/21)]

(ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2980/17/21)]

(3) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2981/17/21)]

(4) (एक) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2982/17/21)]

(6) (एक) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2983/17/21)]

(8) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2984/17/21)]

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 की धारा 25 की उप-धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिनियम, 2020, जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनआईएफटी/एचओ/अधिनियम-परिनियम/2007-खंड-चार में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2985/17/21)]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 2986/17/21)]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2987/17/21)]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2988/17/21)]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2989/17/21)]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2990/17/21)]

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2991/17/21)]

(7) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2992/17/21)]

(9) (एक) भारतीय पास्चर संस्थान, कुनूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पास्चर संस्थान, कुनूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2993/17/21)]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बाबुल सुप्रियो जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2994/17/21)]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं संसद तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2995/17/21)]

सायं 6.02 बजे

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 8, श्री राजीव प्रताप रूडी।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

———

सायं 6.02 ½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

10वें से 13वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन[2*] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

[2*] 10वें से 13 वां प्रतिवेदन 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 71क के तहत 10 सितंबर, 2020 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया और 14 सितंबर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा इनका अवलोकन किया गया। अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के नियम 280 के तहत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

सायं 6.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, 8 फरवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ। इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी : -

1. आज की कार्य-सूची से सरकारी कार्य की आगे ले जायी गयी किसी भी मद पर विचार-विमर्श - [*इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी* चर्चा शामिल है]
2. केन्द्रीय बजट वर्ष 2021-22 पर सामान्य चर्चा।
3. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 14) के निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करना और उसे पारित करना।
4. निम्नलिखित विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा उनके पारित होने के पश्चात विचार करना एवं उन्हें पारित करना:-
    i. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 1) के निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करना और उसे पारित करना।

ii. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 15) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करना और उसे पारित करना।

iii. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019

iv. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020

———

... (व्यवधान)

सायं 6.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं। माननीय सदस्यगण सभा पटल पर अपने मामले रख सकते हैं।

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले के वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर कई सौ किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है। गड़चिरोली जिले में केवल एकमात्र रेलवे स्टेशन वड़सा में है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ियों में आवागमन होता है। लेकिन, वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत काफी समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र गड़चिरोली जिले के वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में नेपाल से भारत में आने वाले जब्त सामान के लिए नीलामी प्रक्रिया को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश की बड़ी सीमा नेपाल से जुड़ी है, जिसके कारण नेपाल राष्ट्र से आने-जाने वाले लोगों व दोनों देश के वैध व्यापार को संचालित करने हेतु कस्टम विभाग के कार्यालय, कृषि मंत्रालय के कार्यालय, एस.एस.बी. व पुलिस आदि की निगरानी लगातार रहती है।

कई बार प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी या गलत तरीके से वैध वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले लोग सीमा पर काम कर रही एजेंसियों द्वारा तस्करी के समान सहित पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर कस्टम के सिवाय अन्य एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया सामान व तस्कर कस्टम विभाग को सौंप दिये जाते हैं।

परन्तु अब ऐसी सूचनायें मिल रही हैं कि कुछ प्रभावी तस्करों द्वारा कथित रूप से कस्टम विभाग से मिलकर आपराधारिक दुरभसंधि की जा रही है तथा विभाग से मिलकर औने-पौने दाम पर नीलामी करवा कर स्वयं खरीदकर पुन: उक्त सामान व कागज़ों का उपयोग तस्करी के लिए किया जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पकड़े गए तस्करी के सामान की नीलामी जब्ती के लिए कोई ऐसी योजना बनाने की कृपा करें जिससे सीमा पर हो रही तस्करी को रोकने के साथ इस तरह के अवैध व गैर कानूनी कार्यों को रोका जा सके।

(तीन) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): मेरा राज्य राजस्थान देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4 प्रतिशत,जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत, पशुधन का 19 प्रतिशत और कृषि योग्य भूमि का 14 प्रतिशत कवर करता है, जबकि इसके पास देश का केवल 1.16 प्रतिशत सतही जल और 1.72 प्रतिशत भूजल है।

जहां तक भूजल की स्थिति का संबंध है, 295 ब्लॉक हैं जिनमें से केवल 50 ब्लॉक सुरक्षित हैं जबकि 38 सेमी-क्रिटिकल, 10 क्रिटिकल और 194 अतिदोहित हैं। अतः इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुउद्देश्यीय सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का विकास महत्वपूर्ण है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) दक्षिणी राजस्थान की नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जल की कमी वाले बेसिन में स्थानांतरित करने के लिए तैयार की गई है। यह योजना दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इस परियोजना में राजस्थान के अपने जलग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध 5,068 एम.सी.एम. पानी का डायवर्जन प्रस्तावित है। यह परियोजना राजस्थान के 23.67 प्रतिशत क्षेत्र और 41.13 प्रतिशत आबादी को कवर करती है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) का मूल्यांकन "राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार करें और इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के अंतर्गत जनपद जालौन जो कि आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, यहाँ इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है । जिला जालौन के सभी छात्र जिन्हें बी.टेक और एम.टेक करना है, वे छात्र-छात्राएं झाँसी या कानपुर जाते हैं। जालौन से झाँसी एवं कानपुर 150 किलोमीटर दूर है। जिले में छात्र-छात्राओं का एक वर्ग जो इंजीनियरिंग की शिक्षा तो ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कानपुर या झाँसी जाने एवं रहने हेतु आर्थिक स्थितियाँ ठीक न होने के कारण वे छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए संसदीय क्षेत्र की प्रतिभाएं दबकर रह जाती हैं । मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जनपद जालौन के छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान खुलवाने का कष्ट करें, जिससे वहां के छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करके देश में अपना अमूल्य योगदान दे सकें ।

(पाँच) बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी): यह सर्वविदित है कि बुंदेलखण्ड की आबादी वंचित और पिछड़ी हुई है और बुनियादी संसाधनों तक इन लोगों की पहुंच बहुत सीमित है। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में कोविड के कारण उत्पन्न हई परिस्थिति से अधिक प्रभावित हुआ है क्योंकि इसकी बहुसंख्यक आबादी प्रवासी श्रमिकों की है जो वापस आ गए हैं तथा वहाँ उनके लिए काम और आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हैं।

बुन्देलखण्ड विकास के लिए बुनियादी पैकेज पर्याप्त नहीं है। इससे उनकी कठनाई बढ़ रही है।

यह पूरी तरह से समझना होगा कि रोजगार सृजन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे रातों रात लागू किया जा सके। रोटी, कपड़ा और मकान ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए वृहत पुनर्वास प्रक्रिया के पूरा होने तक इंतजार किया जा सकता है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को अतिरिक्त अनुदान जारी किया जाए। अनेक मंत्रालय इस क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

(छह) कर्नाटक के कोलार जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने के बारे में

श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार): कोलार कर्नाटक का एक बहुत ही प्रगतिशील जिला है जहां एशिया की पहली स्वर्ण खान थी और यह जिला पिछले कई दशकों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। सकारात्मक उत्साहवर्धक माहौल के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। इसलिए, आने वाले दिनों में पासपोर्ट की मांग बढ़ेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोलार जिले की कई युवा प्रतिभाओं के पास विश्व स्तर पर उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने के लिए समय पर अपना पासपोर्ट प्राप्त करने के सुलभ साधन होने चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से कर्नाटक के कोलार जिले में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) फिल्मों में और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत की जा रही सामग्री पर नियंत्रण हेतु कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता के संस्कारों को संजोने की पहल में मेरा निवेदन है कि सम्प्रेषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संदर्भित सभी विधाओं में धार्मिक और सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों, आराध्य चरित्रों आदि को लेकर फिल्म, मीडिया, सोशल मीडिया, मनोरंजन (वेब सीरीज) आदि के अनेक माध्यमों इत्यादि तथा देश की मूल विचारधारा के विपरीत संस्कारों के लोगों द्वारा जानबूझ कर धार्मिक चरित्रों को संदर्भित करके सम्प्रेषण और प्रस्तुतीकरण के सभी माध्यमों से देश के महत्वपूर्ण धार्मिक चरित्रों को अपमानित करने के उद्देश्य से उनके प्रति अपशब्दों, चित्रों एवं रेखांकन आदि के द्वारा भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का एक दुष्प्रचार, षड्यंत्र, तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा समाज में प्रस्तृत किया जा रहा है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मुझे नैतिक और जनप्रतिनिधि के रूप में आवश्यकता महसूस होती है।

मेरा विचार है कि इस संदर्भ में कठोर कानून के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु नये कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तक इस संबंध में बने हुए कानून पर्याप्त नहीं हैं, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर रोक प्रभावी हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि जनभावनाओं को समझते हुए उक्त संदर्भ में कठोर कानून बनाकर अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

(आठ) कलबुर्गी रेलवे डिवीजन के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): केंद्र सरकार ने 2014 में कलबुर्गी में रेल मंडल मुख्यालय बनाए जाने की घोषणा की थी। तत्संबंधी विस्तृत रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी और भारतीय रेलवे को इस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई थी। यह रेल मंडल अभी भी एक सपना बना हुआ है। वर्तमान में, इस क्षेत्र में तीन रेलवे जोन- मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे तथा पाँच रेल मंडल (डिवीजन) – शोलापुर, गुंटकल, सिकंदराबाद, हैदराबाद और हुबली हैं। चूंकि यह क्षेत्र विभिन्न जोनों और मंडलों में विभाजित है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर ट्रेन सुविधाएं या कोई अन्य कार्य प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि हमें विभिन्न मंडलों और जोन कार्यालयों से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। इस रेल मंडल के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे संबंधित डिवीजन को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने और कलबुर्गी रेल मंडल को शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें।

(नौ) गुजरात के थराद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 को चौड़ा किए जाने के बारे में

[हिंदी]

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): थराद शहर (गुजरात) में से राष्ट्रीय राजमार्ग 68 गुजरता है और वहां हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने हेतु सड़क को 4 लेन में परिवर्तन करने के सन्दर्भ में निवेदन पत्र मैंने पहले भी सम्बंधित मंत्रालय के कार्यालय में भेजा है और दर्खास्त विभाग से भी मंत्रालय में आई हुई है जो मंजूरी हेतु लंबित है। मेरे पत्र के जवाब में मंत्री जी का लिखित आश्वासन भी मुझे मिला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2020-21 में बजट को स्वीकृत करके इसको पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के चौड़ीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाये जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

(दस) बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में अवस्थित अररिया जिला को शेष भारत और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद मात्र दो ही एक्सप्रेस यात्री ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस और जे.बी.एन. एक्सप्रेस की सुविधा प्राप्त है जिसके अंदर पैंट्री कार भी नहीं है, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से मेरे क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र को और अधिक रेल सेवाओं, सुविधाओं से जोड़ना अति आवश्यक है। जैसे कि 1 गाड़ी सप्ताह में 3 दिन कटिहार से कोलकाता के लिए चलती है, इस गाड़ी को अररिया के जोगबनी से रोजाना कोलकाता के लिए चलाया जाए। आम्रपाली एक्सप्रेस जो कि कटिहार से अमृतसर के लिए चलती है, इस गाड़ी को जोगबनी से अमृतसर के लिए चलाया जाए। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि कटिहार से पटना के लिए चलती है, इस गाड़ी को जोगबनी से पटना के लिए चलाया जाए तथा 1 नई गाड़ी जोगबनी से वाराणसी के लिए चलाई जाए। मेरे क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे कि कटिहार से जोगबनी रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण, अररिया से गलगलिया और अररिया से सुपौल रेल लाइन और फारबिसगंज से सहरसा रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए|

(ग्यारह) बिहार के रोहतास जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र के रोहतास जिला अंतर्गत प्रखण्ड-रोहतास के रेहल में आदिवासी समाज के वंचित बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय" स्थापित करने की अति आवश्यकता है, जहाँ अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों का अति प्राचीन विरासत रोहतासगढ़ किला स्थित है। जिला पदाधिकारी से विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि इस क्षेत्र में उक्त विद्यालय स्थापित करने हेतु आवश्यक मापदण्ड के अनुसार आदिवासियों की संख्या 20 हजार से अधिक है। इस पहाड़ी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति/आदिवासी परिवारों को उन्नत करने के लिए उनके बच्चों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नियमित, निरंतर एवं आवासीय शिक्षा की नितांत आवश्यकता है।

अत: विशेष अनुरोध है कि आदिवासी समाज के समग्र कल्याण हेतु व्यापक जनहित में बिहार के रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखण्ड के रेहल में यथाशीघ्र "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय" स्थापित करने हेतु सदन के माध्यम से निर्देशित करने की कृपा की जा**ए**।

(बारह) राजस्थान में जवाई बांध में पर्याप्त जल छोड़ा जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का अधिकांश भूजल खारा है। 1957 में जवाई बांध बनाने के बाद जोधपुर शहर सहित इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए यह बांध पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत्र है। पिछले 5 दशकों मे बांध मात्र 7 बार ही भरा है। पाली जिले की मांग वर्तमान स्तरों के साथ पूरी नहीं की जा सकती है। बांध में पानी की औसत आवक 3,800 डब्जि है और जिले की मांग पीने व सिंचाई के लिए क्रमशः 3,500 और 4,500 डब्जि है। पानी की कमी के चलते वाटर ट्रेन चलानी पड़ती है तथा किसान यूनियनों द्वारा विरोध कई वर्षों से किया जा रहा है। नवम्बर, 2016 में डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ ने एक विस्तृत परियोजना पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्टनुसार साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के डायवर्सन से जवाई बांध को भरा जाए।

(तेरह) राजस्थान के अजमेर संसदीय क्षेत्र में राज्य राजमार्ग 7ई को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) स्टेट हाईवे 7ई का मार्ग वर्तमान में अरांई तक 5.50 मीटर चौड़ा है एंव इससे आगे स्टेट हाईवे 101 अरांई से किशनपुरा जिला सीमा अजमेर तक लगभग 3 मीटर एवं किशनपुरा से मालपुरा तक 5.5 मीटर चौड़ा मार्ग नया बना हुआ है। इस मार्ग पर अरांई से किशनपुरा के 22 किमी के हिस्से में सड़क कम चौड़ी होने के कारण इसपर चलने वाले सैकडों ट्रोलों, ट्रकों, कन्टेनरों, कारों, जीपो एंव बसों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) तक 70 किलोमीटर मार्ग को ई.पी.सी. पद्धति एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत दो लेन पक्की पटरी सहित चौड़ाईकरण कर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित कर निर्मित कराने हेतु आगामी बजट वर्ष 2021-22 की विभागीय कार्य योजनाओं में स्वीकृत कराने की कृपा कराएं। ज्ञात रहे कि उक्त 70 किमी के मार्ग पर लगभग 22 किमी का हिस्सा ही 3 मीटर चौड़ा है बाकी का 48 किमी हिस्सा लगभग 5.5 मीटर चौड़ा एवं निर्मित है इस हेतु जमीन अधिगृहण भी पर्याप्त है।

(चौदह) 'कीनू' और 'गाजर' का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने के बारे में

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं केंद्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में होने वाली किन्नू व गाजर की रिकॉर्ड पैदावार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा किन्नू की पैदावार अकेले श्रीगंगानगर में ही होती है, जो कि लगभग 11 हजार हेक्टेयर भूमि में 3 लाख 70 हजार मीट्रिक टन है और वहीं गाजर की पैदावार लगभग 915 हेक्टयेर भूमि में 27 हजार 450 मीट्रिक टन है।

यहाँ से बड़ी मात्रा में देश व दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में किन्नू व गाजर का निर्यात होता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पैदावार व निर्यात होने पर भी यहाँ के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इस बार इस क्षेत्र में किन्नू की रिकॉर्ड पैदावार हुई है और कोरोना काल व किसान आन्दोलन के चलते यहाँ से किन्नू का निर्यात नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में किन्नू उत्पादक किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण स्थानीय किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्यादातर किन्नू का निर्यात ट्रकों द्वारा किया जाता है, जिसमें समय ज्यादा लगने के कारण किन्नू की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करते हुए किन्नू व गाजर की फसल पर एम.एस.पी. तय करके यहाँ पर एक किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए और साथ ही रेल विभाग से भी अनुरोध है कि किन्नू को समय पर देश-विदेश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने हेतु रेल द्वारा ढुलाई की व्यवस्था की जाए।

(पंद्रह) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्यन के लिए समर्पित अनुसंधान संस्थान के बारे में

[अनुवाद]

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): लगभग 1,962 किमी की तटीय लंबाई और 35,000 वर्ग किमी के कंटीनेंटल शेल्फ क्षेत्र को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन द्वीपों के आसपास लगभग 6,00,000 वर्ग किमी का विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसमें मत्स्य उत्पादन की 1.48 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है, जो हमारे देश की कुल मत्स्ययन क्षमता का 3.8 प्रतिशत है। मैं सरकार से प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए प्रोत्साहन और निवेश प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली कोल्ड चेन प्रणाली तथा टूना और उच्च मूल्य वाली मछलियों के दोहन के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की व्यवस्था करने से रोजगार पैदा होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मेरी मांग है कि मत्स्य पालन विभाग को मत्स्ययन के क्षेत्र में आगे के अनुसंधान और क्षमता वृद्धि के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक समर्पित मत्स्ययन अनुसंधान संस्थान स्थापित करना चाहिए जो इस द्वीप समूह के विकास में सहायता करेगा और इसकी क्षमता के समुचित दोहन योग देगा।

(सोलह) तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के बारे में

श्री एस.आर. पार्थिबन (सलेम): सलेम देश के सबसे तेजी से बढ़ते जिलों में से एक है। शिक्षित युवा पीढ़ी के लिए रोजगार सृजन हेतु नए कारखानों की स्थापना आवश्यक है।

केन्द्र सरकार ने पहले ही "तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा" परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना से सलेम, चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर और त्रिची शहरों को लाभ होगा।

तमिलनाडु देश के रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख राज्य है। यह ऑटोमोबाइल घटकों के लिए प्रसिद्ध है। यह विनिर्माण के क्षेत्र में काफी सुदृढ़ राज्य है और यहाँ आई.टी. की मजबूत उपस्थिति है। निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों का भी एक बड़ा आधार है। इस प्रकार, यहाँ एक विशाल टैलेंट पूल है।

सलेम और कोयंबटूर प्रेसीजन मशीनरी के विकास के प्रमुख केंद्र हैं, और यहाँ एम.एस.एम.ई. सहित, लगभग 4,000 कंपनियां कार्यरत हैं। सलेम स्टील प्लांट में नए उद्योग स्थापित करने के लिए काफी मात्रा में अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र सलेम में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए "तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा" परियोजना को तुरंत लागू किया जाए। धन्यवाद।

(सत्रह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 को पूरा किए जाने के बारे में

डॉ. तालारी रंगैय्या (अनन्तपुर): वर्ष 2015 में, विभिन्न नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य शुरू किए गए थे जो एनएच नेटवर्क का विस्तार कर परिवहन क्षेत्र का विकास करने के सरकार के प्रयास का भाग हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में, आंध्रप्रदेश में 23 से अधिक राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गईं। हम विशेष तौर पर एनएच 67 की स्थिति के संबंध में, भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से बहुत प्रसन्न थे जो मुख्यतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबन्धित है। इसका काम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और शुरुआत में उम्मीद जताई गई थी कि यह दो साल के भीतर पूरा हो जाएगा लेकिन वास्तविकता यह है कि चार साल बीत जाने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है। इसके परिणामस्वरूप, बेल्लारी–गुंटकल–गुटी को जोड़ने वाले मार्ग पर यात्रा करना बहुत कठिन हो गया है। काम पूरा होने में देरी का मुख्य कारण संबंधित निर्माण कंपनी की लापरवाही है।

(अठारह) बिहार के औरंगाबाद जिले में पुनपुन नदी पर पुल निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं सरकार का ध्यान पुनपुन नदी पर पुल बनाने के संबंध मे आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के ग्राम अजनियाँ के पास पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण यहाँ के दो पंचायत के हजारों लोगों को बरसात के चार महीने तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पुल के अभाव में हर साल बरसात के महीने में डूबने से लोगों की मौत भी हो जाती है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अजनियाँ के पास पुनपुन नदी पर पुल अतिशीघ्र बनाया जाए।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के बारे में

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है और प्रकाशम से 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग गरीबों के हिस्से के पीडीएस चावल को मलेशिया, अफ्रीका, बांग्लादेश आदि को निर्यात करने के कार्य में संलिप्त थे । इसमें शामिल कथित गिरोह ने 38 करोड़ रुपये मूल्य का 450 मीट्रिक टन चावल अवैध रूप से निर्यात किया। पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई चोरी तो केवल एक छोटा-सा हिस्सा है; यह रैकेट 150 करोड़ रुपये का हो सकता है।

तस्करों के *काम करने का तरीका* यह है कि वे मिल मालिकों से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर पीडीएस चावल खरीदते हैं जो अन्यथा केवल नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ही खरीदा जाना चाहिए। परंतु, मिल वालों और सीएसडी के साथ मिलीभगत से तस्कर पीडीएस चावल खरीदने में सफल हो जाते हैं। फिर चावल को पॉलिश किया जाता है, पैक किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है और निर्यात के लिए काकीनाडा, चेन्नई और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों पर ले जाया जाता है। यह चावल मलेशिया में 123 रुपये प्रति किलो बिकता है। सतर्कता और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि यही चावल घरेलू खुले बाजार में भी 40-50 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से दोषियों को दंडित करने और पीडीएस में खामियों को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

———————

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की कार्यवाही अगर चलाना चाहते हैं, तो कृपया अपने-अपने आसन पर जाकर विराजें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 8 फरवरी, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

सायं 6.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 फरवरी 2021 / 19 माघ, 1942 (शक) के अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित